B.A.LL.B.6SEM.

JURISPRUDENCE..
CHAPTER..
LAW AND MORALITY.

BY-BANSHLOCHAN PRASAD.
Assistant Professor.
NGB(DU). PRAYAGRAJ..

Scanned with CamScanner

16. विधि और नैतिकता

समाज में मानव आचरण और सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार के नियमो से विनियमित होते है – विधिक नियम और सामाजिक नियम | प्रथम प्रकार के नियमों को विधि और द्वितीय तरह के नियमों को नैतिकता कहा जाता है |

नैतिकता की व्याख्या – जनमत द्वारा समर्थित नियमों के लिए नैतिकता और नैतिक आचार दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है | दोनों में भेद है | नैतिकता का प्रयोग समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के समूह के लिए किया जाता है जबकि नैतिक आचार का प्रयोग आदर्श प्रणाली के रूप में सिद्धांतो द्वारा व्यवस्थित आचरण की अवधारणा के रूप में किया जाता है |

नैतिकता सामाजिक जीवन का आधार है | यह सामाजिक गुणों, सिद्धांतो और नियमों में निहित होती है | गुणों में ही निहित होने के कारण इसे संवर्द्धित और व्यवहृत करना समाज के सदस्यों का दायित्व है | प्रत्येक समुदाय की वास्तविक नैतिकता का समेकन सामान्य नैतिकता और विशिष्ट नैतिकता में हुआ है | सामान्य नैतिकता को दो भागों में बांटा गया है | **प्रथम वर्ग** के अंतर्गत परोपकारिता, मानव जीवन का सम्मान और न्याय को रखा जाता है और **द्वितीय वर्ग** में है – साहचर्य, सामाजिक उत्तरदायित्व, शिष्टता और बाल-कल्याण | इन सिद्धांतो को सामान्य रूप से विभिन्न राजनीतिक विचार पद्धतियों में पाया जाता है | इस तरह के अतिरिक्त सिद्धांत, गुण और नियम तथा उनसे सम्बंधित नियम उस समाज विशेष की विशिष्ट नैतिकता को उत्पन्न करते है |

Scanned with CamScanner

विधि और नैतिकता में अंतर –

1. विधि सम्बन्धी नियम राज्य द्वारा अधिरोपित होते होते है जबकि नैतिकता किसी आचरण के सामाजिक अनुमोदन पर आधारित होती है |

2. विधि का प्रवर्तन राज्य की अनुशास्ति द्वारा सुनिश्चित होता है, जबकि नैतिकता के पीछे सामाजिक दबाव की अनुशास्ति होती है जो न तो व्यवस्थित होती है और न ही निश्चित |

3. विधि और नैतिकता की अभिव्यक्ति के तरीकों में भेद है | नैतिकता सम्बन्धी नियमों में सुतथ्यता या सुनिश्चितता का अभाव है जबकि विधि सम्बन्धी नियम तकनीकी और सुनिश्चित भाषा में अभिव्यक्त होते है |

4. विधि लोगों के वाह्य व्यवहार को विनियमित करती है जबकि नैतिकता उनके आन्तरिक जीवन और प्रयोजन को नियंत्रित करती है |

विधि और नैतिकता का पृथक्करण – यद्यपि अधिकांश मामलों में विधिक अवधारणाओं और नैतिक अवधारणाओं के बीच विभेद माना जाता है फिर भी इन दोनों में तीक्षण और सुतथ्य सीमांकन करना सरल नहीं है | **प्रो. हार्ट** ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक समाजों में नैतिक और धार्मिक निषेधों के समान अन्य नियमों के विरोध विधिक नियम की पहचान के लिए कोई निश्चित "मान्यता के सिद्धांत" प्राप्त नहीं थे | मध्यकालीन इंग्लैंड में चांसलर्स साम्या का प्रयोग अन्त:करण के निदेश के अनुसार करते थे जो तत्कालीन नैतिक आदेशों और रोमन कैथोलिक चर्च के धार्मिक सिद्धांतो से प्रभावित था | **Common Law Judges Statutory Law** के अभाव में समाज के नैतिक अनुभूति को ठेस पहुंचाने वालों को दण्डित करते थे |

Scanned with CamScanner

ज्ञानोदय काल के Natural law jurists – Lockec, Puenfort, Groshas इत्यादि ने विधिशास्त्र को नैतिक धर्मशास्त्रीय सिद्धांत से अलग कर विधि में विशिष्ट लक्षण ढूंढने का प्रयास किया | प्रमाणवादी विचारकों **केल्सन, हार्ट** इत्यादि ने विधि के प्रशासन और प्रवर्तन के नैतिक तर्कों और नीतिगत मूल्यपरक निर्णयों को अलग करने की दलील दी |

यहाँ दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है **प्रथम,** विधि और नैतिकता का पृथक्करण विधि निर्माण पर लागू नहीं होता | अतः विधि निर्माता सामाजिक नैतिकता पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र है | **द्वितीय**, प्रमाणवादी विचारकों के सैधांतिक पृथक्करण के बावजूद विधि और नैतिकता में पृथक्करण पूर्ण नहीं हो पाया तथा चार बिन्दु सम्पर्क में बरकरार रहे –

1. न्यायिक विधि निर्माण,

2. विधिक अवधारणाओं का निर्वचन,

3. मानदंडो को लागू करना,

4. न्यायिक स्वविवेक |

विधि और नैतिकता के सम्बंध में हार्ट-द्वार्किन विवाद –
विधि और नैतिकता के सम्बंध के प्रति हार्ट व द्वार्किन के बीच विवाद को स्पष्ट करने के लिए सात बिन्दुओं को निर्दिष्ट किया गया है | इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है –

क. विधि और नैतिकता में आवश्यक सम्बंध है –

1. विधि के विकास क्रम के प्राथमिक चरण में जहाँ विधि की परिभाषा बंधन के कतिपय प्राथमिक नियमों के रूप में की जाती है परन्तु वहां बंधन के द्वितीयक नियम नहीं होते है |

Scanned with CamScanner

2. इस अर्थ में कि सहज आवश्यकता व्यक्तियों, संपत्ति और प्रतिज्ञाओं के संरक्षण के न्यूनतम प्रारूप का आधार है।

3. इस अर्थ में जहाँ कि नैतिकता नियम अभिमुख है, यह आवश्यक रूप में न्याय के न्यूनतम रूप को सम्मिलित करती है।

4. जहाँ विधि और नैतिकता में कारणात्मक सम्बंध है।

5. विधि के निर्वचन को लागू करने में या तो सिद्धांतों के आधार पर इसके निरूपण में कतिपय नैतिक मूल्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है या न्यायिक निर्णय में, नैतिक मूल्यों में एक चयन अन्तर्वलित होता है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर दोनों विचारकों में सहमति है।

विधि और नैतिकता के बीच कोई आवश्यक सम्बंध नहीं है।

6. जहाँ विधियों और विधिक व्यवस्थायों में प्राकृतिक विधि की न्यूनतम दशाएं या संरक्षण की न्यूनतम रूप, पाए जाते है फिर भी अनैतिक है।

7. विधि के अस्तित्व और विधि के अनुपालन के एक नैतिक बंधन के बीच **हार्ट** और **ड्वार्किन** के बीच विवाद इन दो बिन्दुओं पर है।

हार्ट ने विधि और नैतिकता के बीच आवश्यक सम्बंध को अस्वीकार कर दिया लेकिन नैतिक मूल्यों, सिद्धांतो और वरीयताओं के आधार पर दोनों के बीच सम्बन्धों को अनुभवाश्रित माना है। दूसरी तरफ **ड्वार्किन** का मानना है कि विधि और नैतिकता में आवश्यक सभी सम्बंध है। उनके अनुसार नैतिक सिद्धांत विधि के अंग है और इन सिद्धांतों का उल्लंघन

Scanned with CamScanner

करने वाले नियम विधि नहीं माने जाते क्योंकि वे किसी भी नियम से अधिक मौलिक होते है |

विधि का नैतिकता के बीच सम्बंध –

क. नैतिक विधि का आधार – सामाजिक जीवन की समरसता के लिए नैतिक आचारों की अपरिहार्यता के कारण प्रत्येक विधिक व्यवस्था में नैतिकता किसी न किसी रूप में अभिन्न रूप से जुड़ी रहती है | प्राय: यह स्वीकार किया जाता है कि प्राकृतिक आवश्यकताएं – मानव प्रकृति और उत्तरजीवन के दशाओं का आधार प्रस्तुत करती है, जिनके आधार पर व्यक्ति संपत्ति के संरक्षण का न्यूनतम प्रारूप निश्चित किया जा सकता है | नैतिकता के सर्वग्राह प्रारूप के विचारण में यथासंभव निरपेक्ष तत्वों को ढूंढने का प्रयास किया गया है | इसमें प्रमाणवादी उत्तरजीवन में नैतिकता को अंतर्वस्तु निश्चित करते है तो प्रकृतिवादियों ने नैतिकता के आधार पर अंतर्वस्तु ढूढ़ने का प्रयास किया |

1. उत्तरजीवन एवं निरंतर सामाजिक अस्तित्व के लिए अपेक्षित अंतर्वस्तु का सिद्धांत –

हार्ट ने किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए निश्चित भागित नैतिकता आवश्यक माना है | इसलिए कुछ ऐसे नियम है जिन्हें प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है और ये मानव प्रकृति से सम्बंधित तथ्य प्राकृतिक विधि की न्यूनतम अंतर्वस्तु की अभिधारणा का आदर्श प्रस्तुत करते है | यह "न्यूनतम अंतर्वस्तु" मानव दशाओं, मानवीय दुर्बलताओं, लगभग समानता, सीमित परोपकारिता, सीमित साधन और सीमित ज्ञान तथा इच्छा शक्ति पर आधारित है |

2. अच्छी और कामचलाऊ व्यवस्था के तत्व के सिद्धांत –

Scanned with CamScanner

फुल्लर ने विधि को नियमों की व्याख्या के रूप में स्वीकार करते हुए विधि से उच्च विधि की भावना को निकालकर उसकी व्याख्या उद्देश्य के रूप में की है और विधि के अंग के रूप में नैतिकता को अंगीकृत किया | फुल्लर ने इसे चाहे जिस भी रूप में पाया जाए, प्रत्येक विधिक अवस्था में अत्यावश्यक बताया |

ख. <u>नैतिकता विधि की कसौटी</u> – नैतिकता का प्रयोग विधि की कसौटी के रूप में किया जाता है | एक्वीनांस के अनुसार मानव विधि जहाँ तक विधि से असंगत है उसे अनुचित विधि कहा जाता है और उसमें विधि की प्रकृति नहीं बल्कि हिंसा की प्रकृति होती है अर्थात विधि जो अनुचित है विधि है ही नहीं लेकिन **हार्ट** मानते है कि आत्यंतिक विधि अनैतिक होने पर भी विधि है | जब तक इसका भूतगामी प्रभाव से निरसन नहीं किया जाता | हालांकि हार्ट के इस मत की आलोचना इस तथ्य के आधार पर की जा सकती है कि विधि के तत्व के लिए आवश्यक है कि वह पूर्णतः असाम्यिक, निरंकुश और दमनात्मक न हो | **जैसे** – नाजी शासन का सम्मानित नागरिकों द्वारा विरोध |

ग. <u>नैतिकता विधि का उद्देश्य</u> – न्याय नैतिक आचार की अवधारणा है और विधि का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है | जब विधि का उद्देश्य निश्चित किया जाता है तो मूल्यपरक मूल्यांकन के आधार पर सामाजिक नैतिकता को स्थापित किया जाता है | प्रमाणवादी नैतिकता को विधि से अलग करने का प्रयास करते है परन्तु उपयोगिता वादी विधायन, न्यायिक निर्णय, विधिशास्त्रीय कृतियों में हितों का मूल्यांकन और सामंजस्य स्थापित करने में नैतिक आचारों की सहायता लेते है | सामाजिक समेकता या जीती जागती विधि या सामाजिक अभियंत्रिकरण स्वयं में ही सामाजिक नैतिकता को स्थापित करते है | **स्टैमलर** ने स्पष्ट किया कि विधि के माध्यम से न्याय प्राप्त किया जाता है, परन्तु

Scanned with CamScanner

इसके तत्कालीन सामाजिक आदर्शों पर ध्यान देना होगा | अतः नैतिकता विधि का उद्देश्य है |

विधि और नैतिकता का परस्पर प्रभाव –

क. नैतिकता का विधि पर बढ़ता प्रभाव – कॉमन लॉ के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की सहायता करने का कोई बंधन नहीं रहा है जो किसी गम्भीर खतरे में है | परन्तु कुछ देशों में ऐसे बंधन अधिरोपित किये जा रहे है जहाँ नैतिकता का बंधन सांविधिक प्रास्थिति प्राप्त कर रहा है |

बोडेनहीमर के अनुसार **कोलोरोड़ो संविधि** में यह सह-अपराधी की एक नई श्रेणी निर्मित की गयी है जिसकी परिभाषा में ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया जो अपराध घटित होने से रोकने की शक्ति रखता है परन्तु वह कोई प्रयास नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है |

ख. विधि का नैतिकता पर प्रभाव - नवीन परिस्थितियों में विधि ने नैतिकता को दो तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया है | **प्रथम,** कुछ कार्य-कलाप समलैंगिकता, आत्महत्या का प्रयास, जो पहले अनैतिकता के मात्रा के कारण विधिक अनुशास्ति के विषय थे अब उन्हें विधि के क्षेत्र से निकालकर व्यक्तिगत नैतिक निर्णय के क्षेत्र में कर दिया गया | **द्वितीय,** कुछ विधियों द्वारा नवीन सामाजिक नैतिकता की पहचान मिली है | **जैसे**– हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के द्वारा द्विविवाह पर रोक और अस्पृश्यता का अंत |

प्रविधि के माध्यम से नैतिकता का प्रवर्तन – विधि के माध्यम से नैतिकता का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए लेकिन

Scanned with CamScanner

नैतिकता के संरक्षण की सीमा क्या हो इस पर विवाद है –

1. नैतिकता के सम्बंध में पूर्वानुमान है कि यह दो तरह की होती है – व्यक्तिगत और सार्वजनिक |

2. वास्तविक नैतिकता के अंतर्गत सामान्य नैतिकता और विशिष्ट नैतिकता सम्मिलित है | सामान्य नैतिकता समान रूप में सभी समाजो में और विशिष्ट नैतिकता सामान्य नैतिकता के अतिरिक्त किसी समुदाय विशेष में पायी जाती है |

विधि के माध्यम से नैतिकता का प्रवर्तन पर मुख्य विवाद **ओल्फेनडेन समिति की रिपोर्ट** से हुआ जिसमें सहमति वाले वयस्कों के बीच प्राइवेट में किया गया समलैंगिक व्यवहार और प्राइवेट में किया गया वेश्यावृत्ति अवैधानिक नहीं है |

लार्ड डेवेलिन ने उक्त रिपोर्ट की आलोचना करते हुए दलील दी कि समाज का एक आवश्यक लक्षण नैतिकता है और नैतिकता कमजोर हो गई तो वह स्वयं समाज की बर्बादी की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होती है | यदि कोई कृत्य समाज की नैतिकता के अनुसार गलत है और प्राइवेट में किया जाता तथा शालीनता, भ्रष्टाचार और शोषण के विरुद्ध अपराध की तरह किसी दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचाता है तो भी मात्र इसका व्यवहार स्थापित नैतिकता को नष्ट कर समाज को कमजोर करता है और इसे दण्डनीय बनाना चाहिए क्योंकि यह समाज के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न करता है |

लार्ड पैट्रिक डेवेलिन के इस दलील को हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने **शॉ बनाम डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन** में स्वीकार किया | **शॉ** को **The Ladies Directory** नामक पत्रिका के प्रकाशन के लिए अभियोजित किया गया | इस पत्रिका में वेश्याओं के पते, नग्न फोटो, नाम और लैंगिक व्यवहारों वाले

Scanned with CamScanner

कोड दिए गये थे | **हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स** ने उसे लोक नैतिक आचार को भ्रष्ट करने के षड़यंत्र के आधार पर दण्डित किया | न्यायालय ने दृढ़ मत व्यक्त किया कि उसे लोक कल्याण के लिए हानिप्रद अपराधो की निगरानी की अवशिष्ट शक्ति है और उस कॉमन लॉ को किसी भी संविधि से च्युत नहीं किया जा सकता |

निजी और सार्वजनिक नैतिकता – यदि कोई व्यवहार प्राइवेट में किया जाता है तो वह निजी नैतिकता का विषय है | निजी नैतिकता का प्रयोग तीन अर्थो में हुआ है –

1. इसका विधि से सम्बंध नहीं है और इसका तात्पर्य महज इतना है कि एकान्तता के अधिकार का सम्मान किया जाए;

2. इनमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रकृति नहीं होती है;

3. ऐसे कृत्यों की नैतिकता जो व्यक्तिगत निर्णय की विषयवस्तु है |

प्रो. हार्ट ने माना कि सभी कृत्य जो नैतिक निर्णय की वस्तु है और दूसरो को हानि नहीं पहुंचाते निजी नैतिकता के विषय है | **जैसे** – बंद कमरे में सहमति पर आधारित समलैंगिक सम्बंध |

इसके विपरीत, यदि किसी नैतिक आचार से सम्बंधित कृत्य सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है या इनमें दूसरो को हानि पहुंचाने का लक्षण है तो उसे सार्वजनिक नैतिकता माना गया |

यदि **डेवेलिन** की बात पर विश्वास करे तो “यदि कोई कृत्य असहनीय या क्रोध उत्पन्न करने वाला है तो वह सार्वजनिक नैतिकता का विषय है |”

जैसे – सार्वजनिक रूप से पति-पत्नी का रतिक्रिया में लीन होना

Scanned with CamScanner

<u>भारत में विधि के माध्यम से नैतिकता का प्रवर्तन</u> – भारतीय संविधान में **अनुच्छेद 19(2)** के आधार पर भाषण एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता पर नैतिक रूप से या किसी उचित आधार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाया गया है | परम्परागत

Scanned with CamScanner

अभिव्यक्त की स्वतंत्रता पर नैतिक रूप से या किसी उचित आधार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाया गया है | परम्परागत परिपेक्ष्य में भी भारत में विधि और नैतिकता के सम्बंध में अनेक प्रावधान किये गये है | **उदाहरण के लिए** भारतीय दण्ड संहिता में, **धारा 376** में बलात्कार, **धारा 377** में प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, **धारा 366क** में अवयस्क लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग के लिए विवश करना, **धारा 366ख** में किसी विदेशी लड़की को आयात करना, **धारा 372** में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय लड़की को बेचना और खरीदने को अपराध घोषित किया गया है | इस तरह शालीनता और नैतिकता को परिरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 392** में अश्लील पुस्तकों के विक्रय, **धारा 293** के अनुसार तरुण व्यक्ति को अश्लील साहित्य बेचने और **धारा 294** में अश्लील कार्यो एवं गानों को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है | इस तरह संविदा अधिनियम के **धारा 23** के अंतर्गत अनैतिक और लोकनीति के विरुद्ध करारो को शून्य घोषित किया गया है |

न्यायिक दृष्टिकोण – भारतीय न्यायालयों ने सामान्य रूप से विधि के माध्यम से नैतिक मूल्यों के प्रवर्तन को उत्साहित किया गया है और ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास प्रभावकारी बनाया है जिनमें सामाजिक नैतिकता को भ्रष्ट करने के लक्षण है |

स्टेट ऑफ़ बाम्बे बनाम आर. एन. डी. सी. में **उच्चतम न्यायालय** ने नैतिकता और निन्दित माने जाने के कारण जुआ को व्यवसाय मानने से इनकार कर दिया |

सतपाल एंड कॉर्पोरेशन बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ़ देलही में **सर्वोच्य न्यायालय** ने नशीले पदार्थों के व्यापार पर नियंत्रण को समाज के आत्म संरक्षण का अधिकार माना है |

Scanned with CamScanner

नियंत्रण को समाज के आत्म संरक्षण का अधिकार माना है |

स्टेट ऑफ़ यू.पी. बनाम कशालिया के मामले में **सर्वोच्य न्यायालय** ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी क्षेत्रीय बर्हिमगन के आदेशों को वैध माना और कहा कि वेश्यावृत्ति की गतिविधि लोक नैतिकता के लिए घातक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए विध्वंसकारी है | अतः सार्वजनिक हित में किसी वेश्या को एक क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है |

रंजीत डी. उडेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में **उच्चतम न्यायालय** ने लेडीज चैटर्लेस लवर नामक उपन्यास को बुक स्टाल पर रखने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 292** के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को वैध ठहराते हुए स्पष्ट किया कि पूरी पुस्तक को पढ़ने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि पुस्तक की विषय वस्तु भारतीय लोक समाज द्वारा स्थापित मूल्यों की सीमा का उल्लंघन करता है |

लेकिन सर्वोच्य न्यायालय ने सामाजिक परिवर्तन के साथ अश्लीलता के मानदण्ड को स्वीकार किया है |

बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओ0 पी0 सिंह के मामले **सर्वोच्य न्यायालय** ने अवधारित किया कि अश्लीलता का निर्धारण सम्पूर्ण परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा | इससे पूर्व भी इस बात की पुष्टि **समरेश बोस बनाम अमल मित्रा** में की जा चुकी है |

उच्चतम न्यायालय ने उच्च स्तर पर लोक नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रभावकारी प्रयास किया है |

Scanned with CamScanner

प्रमुख वाद –

"X" बनाम "Z" हॉस्पिटल के वाद में कहा गया कि जहाँ दो मूल अधिकारों में विरोध हो वहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय केवल उसी मूल अधिकार को प्रवर्तित करेगा जो लोक नैतिकता और लोकहित को प्रश्रय देता है | इस वाद में अपीलार्थी रक्त परीक्षण के दौरान HIV प्लस पाया गया | इस बात का पता उस कन्या को हुआ जिससे उसकी शादी तय हुई थी, शादी टूट गई | न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक तरफ अपीलार्थी के जीवन का अधिकार था जिसमें एकान्तता और विवाह करने का अधिकार सम्मिलित था, तो दूसरी तरफ कन्या को स्वस्थ्य जीवन जीने का अधिकार था जिसके साथ एड्स जैसे असाध्य रोग से पीड़ित रोगी का विवाह तय था | **सर्वोच्च न्यायालय** ने स्पष्ट किया कि सभी विधिक व्यवस्थाओं में स्वस्थ्य शरीर और नैतिक आचार नीति की अवधारणा पूर्णतः व्याप्त है | परिणामतः एक व्यक्ति को जो एड्स से पीड़ित है उसके विवाह करने के अधिकार को प्रवर्तनीय नहीं माना गया |

इससे भी आगे जाते हुए **बेलामुरी बैंकट शिवप्रसाद बनाम कोथरी व्यंकेश्वरालू** में **उच्चतम न्यायालय** ने कहा कि नैतिकता और विधि एक दूसरे के समान है | जो विधिक है वह नैतिक है | अतः नैतिकता विधि से अलग नहीं की जा सकती है |

Scanned with CamScanner